



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 760]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 सितम्बर 2025 — अश्विन 8, शक 1947

पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक E-98568/RULE/454/2025. — छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्र. 23 सन् 2004) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(ङ) छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग में पंजीकृत गौशाला समिति द्वारा संचालित गौधाम के पंजीयन की प्रक्रिया—

(अ) जिले में निराश्रित, घुमन्तु गौवंशीय पशुओं के विस्थापन हेतु, आवश्यकतानुसार शासकीय भूमि/ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित गौठान का चिन्हांकन कर गौधाम स्थापना का निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग को प्रेषित किया जायेगा। प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल पर निर्मित संरचनाओं की भौतिक/वित्तीय जानकारी संलग्न होगी। (प्रपत्र—छः, प्ररूप ‘क’)

(ब) रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्मित संरचनाओं का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा।

(स) रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तावित स्थल के निकटस्थ/आस-पास संचालित छत्तीसगढ़ गौ- सेवा आयोग में पूर्व से पंजीकृत गौशाला की समिति से गौधाम योजना अंतर्गत गौधाम संचालन की सहमति ली जायेगी।

(द) पंजीकृत गौशाला की समिति से सहमति प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग के रजिस्टर में प्रविष्ट कर प्राप्त प्रस्ताव तथा सहमति पत्र छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग के सचिव के माध्यम से क्रियान्वयन समिति के समक्ष विचार/अनुमोदन के लिए रखा जायेगा। (प्रपत्र—छः, प्ररूप ‘ख’ एवं ‘ग’)

(च) रुचि की अभिव्यक्ति के आधार पर गौधाम के पंजीयन की प्रक्रिया—

(अ) यदि निकटस्थ संचालित छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग में पूर्व से पंजीकृत गौशाला की समिति द्वारा गौधाम योजना अंतर्गत गौधाम संचालन की असहमति व्यक्त करने पर रजिस्ट्रार द्वारा कलेक्टर/छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग नियम, 2005 के अनुसार गठित जिला समिति को तदाशय की सूचना दी जाकर योजना अनुसार रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से गौधाम संचालन हेतु संस्था के चयन की प्रक्रिया किये जाने हेतु पत्र लिखा जायेगा।

(ब) जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुये, गौधाम संचालन हेतु संस्था का चयन किये जाने पर, निम्नलिखित जानकारी रजिस्ट्रार को प्रेषित की जायेगी। (प्रपत्र-छः, प्ररूप 'क', 'ख' एवं 'ग')

- (1) संस्था से संबंधित संपत्ति का ब्योरा।
- (2) संस्था के कार्यकारणी सदस्यों के नाम तथा पता।
- (3) संस्था में पद के उत्तराधिकार की रीति।
- (4) संस्था के आय तथा व्यय।
- (5) संस्था के आय का स्रोत।
- (6) जिला प्रशासन की अनुशंसा।

(स) यह समाधान होने पर कि संस्था पंजीकरण की समस्त अपेक्षाओं को पूर्ण करती हैं तथा उक्त गौधाम के संचालन पर योजनानुसार व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर से आयोग को प्राप्त राशि से हो जायेगी। रजिस्ट्रार द्वारा समस्त विशिष्टियों को आयोग के रजिस्टर में प्रविष्ट कर आवेदन पत्र आयोग के सचिव के माध्यम से क्रियान्वयन समिति के समक्ष विचार/अनुशंसा के लिए रखा जायेगा।

(छ) खण्ड (ड) एवं (च) के अनुसार—

(अ) विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ राज्य गौ-सेवा आयोग तथा चयनित संस्था के मध्य निर्धारित अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित किया जायेगा। (प्रपत्र-छः, प्ररूप 'घ')

(ब) चयनित संस्था द्वारा 25,000/- रुपये ब्याज रहित सुरक्षा निधि गौ-सेवा आयोग कार्यालय में जमा की जायेगी।

(ज) गौधाम संचालित करने वाली चयनित संस्था को, उपलब्ध कराई गई भूमि, निर्मित अधोसंरचना एवं चारागाह पर कोई भी अधिकार नहीं होगा।”

2. नियम 9 के उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतः स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(4) नियम 5 (3) (छ) के अनुसार अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित होने के पश्चात् रजिस्ट्रार, गौधाम का रजिस्ट्रीकरण कर प्रमाण पत्र जारी करेगा। (प्ररूप-चार-‘क’)”

3. नियम 11 के उप-नियम (4) में , शब्द, अंक एवं चिन्ह “रु. 20.00 लाख (रु. बीस लाख)” के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह “रु. 25.00 लाख (रु. पच्चीस लाख)” प्रतिस्थापित किया जाये।

4. नियम 11 के उप-नियम (9) में, शब्द एवं अंक “रुपये 20.00 लाख” के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह “रुपये 25.00 लाख (रु. पच्चीस लाख)” प्रतिस्थापित किया जाये।”

5. नियम 11 के उप-नियम (11) के खण्ड (बीस) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात् :-

“(इक्कीस) जिला स्तरीय समिति (नियम 16-क) की अनुशंसा पर गौधाम हेतु अनुदान—

(अ) संरक्षित पशुओं के पालन पोषण हेतु प्रपत्र-6 अनुसार प्रथम वर्ष में 10.00 रुपये प्रतिदिन प्रति इकाई, द्वितीय वर्ष में 20 रुपये प्रतिदिन प्रति इकाई, तृतीय वर्ष में 30 रुपये प्रतिदिन प्रति इकाई एवं चतुर्थ वर्ष से 35 रुपये प्रतिदिन प्रति इकाई की दर से अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

- (ब) एक चरवाहा एवं एक गौ-सेवक (प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) को श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित दैनिक न्यूनतम वेतन दिया जायेगा।
- (स) नस्ल सुधार (सेक्स सोर्टेड सीमेन के उपयोग से) हेतु रुपये 1,50,000.00।
- (द) चारा विकास हेतु रुपये 47,000.00 प्रति एकड़ (अधिकतम 5 एकड़ हेतु)।
- (ई) विधुत चलित चारा कुट्टी मशीन हेतु प्रथम वर्ष में अधिकतम रुपये 50,000.00।
- (प) निर्मित अधोसंरचना की मरम्मत/मूल भूत अधोसंरचना हेतु प्रथम वर्ष में अधिकतम रुपये 5.00 लाख।
- (फ) कुल अनुदान की अधिकतम सीमा रुपये 25.00 लाख (पच्चीस लाख) प्रतिवर्ष होगी।

(बाईस) गौशाला तथा गौधाम में तैयार बैलजोड़ी के वितरण के लिये परिवहन, प्रबंधन पर संयुक्त संचालक/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें द्वारा व्यय राशि की प्रतिपूर्ति।”

6. नियम 12 के उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अन्तः स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(7) गौधाम संचालन हेतु चयनित संस्था द्वारा धोखाधड़ी या दुर्विनियोग किये जाने की दशा में संस्था का अनुबंध तत्काल समाप्त करते हुए अमानत राशि को जब्त कर भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) के अनुसार दण्ड का प्रावधान होगा एवं गौधाम संचालन के लिए नियमानुसार अन्य संस्था को दिया जायेगा।

(8) उप-नियम (7) के अनुसार, अनुबंध समाप्ति करने की दशायें एवं अधिकार निम्नलिखित होगी

- (अ) जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित संस्था की लापरवाही की जांच की जायेगी तथा जांच प्रतिवेदन के साथ अनुशंसा सहित प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग की क्रियान्वयन समिति को निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी।
- (ब) छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग की क्रियान्वयन समिति द्वारा नियमित/आपातकाल बैठक का आयोजन करते हुए चयनित संस्था की लापरवाही के संबंध में जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर विचार कर निर्णय ले सकेगी।
- (स) छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग की क्रियान्वयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा।
- (द) दोष सिद्ध होने की स्थिति में, हर्जाना वसूली की कार्यवाही छत्तीसगढ़ राज्य गौ-सेवा आयोग द्वारा की जायेगी।

7. प्ररूप-पाँच के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाए, अर्थात्:-

‘‘प्रपत्र-छ:प्ररूप-‘क’

(नियम 5 (3)(ड)/(च) देखिये)

कलेक्टर/गठित जिला समिति, जिला द्वारा सत्यापन एवं पुष्टिकरण

गौधाम का नाम, ग्राम, खण्ड....., जिला.....

(क) गौधाम योजना हेतु अभिकरण संबंधी विवरण

स. क्र.	विवरण	जानकारी
1.	अभिकरण का नाम	
2.	गौ-सेवा आयोग के अधीन पंजीकृत	पंजीकृत / अपंजीकृत
3.	अभिकरण का डाक का पूर्ण पता	
4.	जिला	
5.	छत्तीसगढ़ स्थापना वर्ष	
6.	छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग के अधीन पंजीयन यदि हो तो, क्रमांक एवं दिनांक	
7.	पंजीयन क्रमांक / दिनांक, यदि अन्य संस्था के अधीन पंजीकृत है	
8.	अभिकरण का नाम, पता तथा दूरभाष क्रमांक	

(ख) गौधाम के स्वामित्व के अधीन भूमि/भवन संबंधी विवरण

स. क्र.	विवरण	जानकारी
1.	गौधाम का कुल क्षेत्रफल	
2.	कृषि योग्य भूमि (सिंचित/असिंचित)	
3.	अकृषि योग्य भूमि	
4.	चरनोई का रकबा	
5.	भवन (निर्मित क्षेत्रफल)	
6.	पशु शेड की संख्या एवं क्षमता	
7.	उपलब्ध पानी की व्यवस्था (नदी, नाला, तालाब, ट्यूबवेल आदि)	
8.	उपलब्ध गोबर गैस प्लांट	
9.	उपलब्ध सोलर पेनल	
10.	साईलोट/अन्य	
11.	उपलब्ध वाहनों की संख्या (बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, जीप, साइकिल आदि)	

(ग) गौधाम में उपलब्ध पशुधन के विवरण

स. क्र.	विवरण	कुल पशुधन
1.	दुधारू गाय	
2.	गाभिन गाय	
3.	बाँझ/अनुत्पादक/वृद्ध/ अपंग गाय एवं बैल	

4.	सांड	
5.	बैल	
6.	बछड़े/बछड़ी	
7.	3 माह की आयु तक के दूध पीने वाले वत्स	
8.	न्यायालय/पुलिस कस्टडी से प्राप्त गौ पशुओं की संख्या तथा प्राप्ति तिथि	
9.	क्या प्रकरण न्यायालय में लंबित है	

(घ) कलेक्टर/गठित जिला समिति की टीप एवं अनुशंसा :-

संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें		कलेक्टर/गठित जिला समिति के पदाधिकारी हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा
---	--	--

प्रपत्र-छ: प्ररूप-‘ख’

(नियम 5 (3)(ड)/(च) देखिये)

सहमति पत्र

मैं अध्यक्ष/सचिव, ...
 द्वारा सहमति प्रदान करते हैं कि गौ-सेवा आयोग नियम, 2005 (यथा संशोधन 2025) के नियम 16(1)(क) एवं (ख) अनुसार छ.ग. गौ-सेवा आयोग द्वारा प्रदायित गौधाम.....
, ग्राम, खण्ड का संचालन हमारी समिति द्वारा पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ किया जायेगा। किसी भी दुर्विनियोग व धोखाधड़ी के लिए हमारी संस्था पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेगी।

संस्था प्रमुख के नाम,

हस्ताक्षर एवं सील

संस्था के सदस्यों के हस्ताक्षर

1.....

2.....

3.....

प्रपत्र-छ: प्ररूप-‘ग’

(नियम 5 (3)(ड)/(च) देखिये)

कार्यालय (यहां गौधाम का नाम लिखे)

प्रति,

रजिस्ट्रार,

छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग,

रायपुर.

विषय :- छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्र. 23 सन् 2004) एवं गौ-सेवा आयोग नियम, 2005 के अधीन गौधाम के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन।

अतएव, पूर्वोक्त अधिनियम में पशु कल्याण गौधाम के रजिस्ट्रीकरण उपबंध है।

अतएव, छत्तीसगढ़ राज्य गौ-सेवा आयोग नियम, 2005 के नियम 5 के अनुसार अपेक्षित विशिष्टियों सहित, तीन प्रतियों में यह आवेदन प्रस्तुत है।

..... बैंक का रूपयें का एक रेखांकित बैंक ड्राफ्ट क्रमांक/दिनांक रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में संलग्न है।

पूरा पता

.....

.....

गौशाला/स्वयंसेवी संस्था के
गौधाम प्रमुख या उसके प्राधिकृत व्यक्ति का
हस्ताक्षर एवं मुहर

सूची

सरल क्रमांक	अभिलेखों का विवरण
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

हस्ताक्षर गौधाम प्रमुख

पावती

रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन पत्र सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियों सहित प्राप्त किया।

रायपुर :

दिनांक :

छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग,

रायपुर के

कर्मचारी के हस्ताक्षर

स.क. गौधाम

अभिलेखों की विशिष्टियाँ

1. गौधाम का नाम स्थापना तारीख ...
2. अवस्थिति स्थान तहसील जिला
3. गौधाम के लक्ष्य तथा उद्देश्य को प्रदर्शित करने वाले विलेख, लिखित या ऐसे संक्षिप्त सार की प्रतियाँ संलग्न करते हुये गौधाम के उद्देश्य और लक्ष्य

4. गौ-सेवा आयोग में पंजीकृत/अपंजीकृत स्वयंसेवी संस्था, छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग अनिधिनियम, 2004 (क. 23 सन् 2004) के प्रारंभ होने के पूर्व किसी अन्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने पर उसका रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र
5. समिति के उद्देश्य :-
6. समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबंध, कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिनके नाम एवं पते हस्ताक्षर व पदनाम सहित उल्लिखित हैं :-

स.क्र.	नाम	पद	पता	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

9.				
10				

7. जिस स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से कृषिक पशुओं का संरक्षण और संवर्धन कर रही है, उसकी पशुधन संख्या—

पशुधन का विवरण	संख्या	नस्ल
(क) गाय		
(ख) बछड़ी (कलोर)		
(ग) बैल		
(घ) बछड़े	नर	
	मादा	

(ङ) अन्य पशुधन (प्रकार दर्शाए)

.....

8.	संस्था द्वारा धारित भूमि का कृषि का पूर्ण विवरण (भू-अभिलेख की अनुप्रमाणित प्रति) संस्था को कलेक्टर/गठित समिति द्वारा प्रस्तावित स्थल का पूर्ण विवरण (भू-अभिलेख की अनुप्रमाणित प्रति)	चराई/घास	अन्य श्रेणी की
----	---	----------	----------------

9.	उपयोग में आने वाली जमीन का वर्गीकरण (छायाप्रति)	सड़क में	भवन में	अन्य प्रयोजन में

10. संस्था की आय का स्रोत

.....

11. गतिविधियाँ (संक्षिप्त में टीप दें).....

.....

12. गत 3 वर्षों का संपरीक्षित लेखा (वैकल्पिक).....

.....

13. अनुदान प्राप्ति संबंधी विवरण :- (पूर्ववर्ती तीन वर्षों का)

स.क्र.	संस्था को पूर्व में प्राप्त अनुदान	वर्ष	वर्ष	वर्ष
1.	छ.ग. गौसेवा आयोग रायपुर, छत्तीसगढ़			
2.	भारत पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई			
3.	सांसद निधि			
4.	विधायक निधि			
5.	अन्य			

14. अन्य जानकारीयां -.....

.....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

प्रपत्र-छ: प्ररूप-‘घ’

(नियम 5 (3)(छ) देखिये)

अनुबंध-पत्र

(रु. 50 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

प्रथम पक्ष :- सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़

द्वितीय पक्ष :-

उभय पक्षकारों के द्वारा यह अनुबंध आज दिनांक.....को रायपुर, छत्तीसगढ़ में हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया।

प्रथम पक्ष :- सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ़

द्वितीय पक्ष :-
.....

यह अनुबंध आज दिन.....को हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया :-

उभय पक्षों के बीच निष्पादित अनुबंध की नियम एवं शर्तें :-

1. यह कि, स्थापित गौधाम हेतु चयनित संस्थान का कार्यकाल 05 (पांच) वर्ष होगा। कियान्यवन समिति की अनुशंसा पर कार्यकाल को 05 (पांच) वर्ष बढ़ाया जा सकता है।
2. यह कि, स्थापित गौधाम की भूमि एवं निर्मित अधोसंरचना पर पक्ष क्रमांक-1 छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का आधिपत्य होगा। इस प्रकार अनुबंध समाप्ति के पश्चात् संस्था का इस पर कोई अधिकार नहीं होगा।
3. यह कि, गौधाम संचालित करने वाली संस्था को पी.पी.पी. मॉडल अनुसार शासन द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जायेगी, जो छत्तीसगढ़ राज्य गौ-सेवा आयोग के आधिपत्य में होगी।
4. यह कि, चयनित संस्था को राशि 25,000/- रुपये ब्याज रहित सुरक्षा निधि के रूप में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य गौ-सेवा आयोग के नाम पर जमा कराना अनिवार्य होगा।
5. यह कि, शासन से गौधाम हेतु प्राप्त भूमि का उपयोग सिर्फ गौधाम के विहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जायेगा। इसका अन्यत्र उपयोग अनुबंध के विपरीत माना जायेगा।
6. यह कि, गौधाम संचालन हेतु चयनित संस्था बीच में कार्य बंद नहीं कर सकेगी और न ही लापरवाही पूर्वक कार्यों में विलंब करेगी जाँच में ऐसा पाया जाने पर उनके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 45) प्रक्रिया के तहत कार्यवाही शासन के द्वारा की जा सकेगी एवं संस्था की ओर से प्रस्तुत सुरक्षा निधि से क्षतिपूर्ति प्राप्त की जायेगी।

7. यह कि गौधाम.....को पशुधन पंजी, डेडस्टॉक पंजी, फिड-फाडर पंजी, स्टेशनरी पंजी, अन्य आकस्मिक एवं केश बुक सहित सभी आवश्यक अभिलेख संधारित करना अनिवार्य होगा।
8. यह कि, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, पक्ष क्रमांक-2 चयनित संस्थान को चार्टर्ड एकाउंटेंट से लेखा परीक्षा करा कर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् एक माह के भीतर संबंधित जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें के माध्यम से छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग में प्रस्तुत करना होगा। संस्था.....को छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग तथा जिला क्रियान्वयन समिति द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का पालन करते हुए कार्य करना होगा।
9. यह कि, चयनित संस्थान को गौधाम संचालन के दौरान दान-दाताओं से प्राप्त पशु/राशि का विवरण पृथक से पंजी में संधारित करते हुए लिखित सूचना छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग को देना होगा।
10. यह कि, चयनित संस्थान को गौधाम के समस्त पशुधन को कीमिनाशक दवा और प्रतिबद्धात्मक टीकाकरण कराना होगा। पशुधन के स्वास्थ्य, नस्ल सुधार एवं प्रबंधकीय व्यवस्था का रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य गौ-सेवा आयोग द्वारा निरीक्षण किया जायेगा, रजिस्ट्रार के द्वारा दिये गये सुझावों एवं मार्गदर्शन का अनुसरण करना अनिवार्य होगा।
11. यह कि, चयनित संस्था को उत्पादन कार्य हेतु तकनीकी रूप से कुशल एवं अर्द्धकुशल मजदूर तथा पशुओं के देखभाल हेतु मजदूर की पर्याप्त व्यवस्था संस्था की जिम्मेदारी होगी।
12. यह कि, चयनित संस्था को गौधाम परिधि के पाँच गांव को गोद लेकर उसकी सम्पूर्ण कृषिक गतिविधियों को जैविक तरीके से संपादित करवाने में पाँच रोल मॉडल गांव स्थापित करना होगा। (जुताई, बोआई, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, कटाई) समस्त चरणों में जैविक गतिविधियों का समावेश करना होगा।
13. यह कि, चयनित संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग द्वारा गौधाम प्रबंधन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. यह कि, चयनित संस्थान गौधाम में उन्नत स्वदेशी नस्ल के सांड या कृत्रिम गर्भाधान से नस्ल सुधार का कार्यक्रम लेना होगा, दुग्ध उत्पादन को भी संस्था के द्वारा बढ़ावा दिया जायेगा। गौधाम में वर्ष भर चारा उत्पादन हेतु ऋतुवार चारा बीज, खाद भूमि सुधार आदि का कार्य किया जायेगा।

15. यह कि, चयनित संस्था को पंचगव्य उत्पादन के साथ-साथ गोबर एवं गोमूत्र से जैविक खाद का उत्पादन, कीटनाशक उत्पादन, कृषकों/पशुपालकों को प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार करना होगा।
16. यह कि, चयनित संस्था को गौधाम में रखे जाने वाले अनुत्पादक पशुओं के लिए पोषण आहार एवं अन्य अनुदान गौधान योजना में प्रस्तावित प्रावधानानुसार दिया जा सकेगा। इसके लिए गौधाम का छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग में पृथक से पंजीयन किया जायेगा।
17. यह कि, चयनित संस्था को उत्पादक पशुओं के पोषण आहार एवं अन्य कार्य हेतु किसी भी प्रकार की सहायता राशि, शासन द्वारा प्रदाय नहीं की जायेगी।
18. यह कि, चयनित संस्था को उभय पक्षों के मध्य किसी भी मुद्दे पर विवाद की स्थिति में सचिव, कृषि (पशुधन विकास) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम होगा।
19. यह कि, चयनित संस्था को योजना के उद्देश्य की पूर्ति अनिवार्य है।
20. यह कि, अनुबंध समय पूर्व समाप्त करने की कार्यवाही :-
 - अ. यदि गौधाम संचालन हेतु चयनित संस्था द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान कार्य बंद किया जाता है अथवा किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं प्रस्तुत सुरक्षा निधि से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त की जायेगी।
 - ब. छत्तीसगढ़ राज्य गौ-सेवा आयोग की क्रियान्वयन समिति के द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा।
 - स. दोष सिद्ध होने की स्थिति में, चयनित संस्था द्वारा अनुबंध पूर्व जमा की गयी सुरक्षा निधि राशि रु. 25,000/- से हर्जाना वसूली की कार्यवाही छत्तीसगढ़ राज्य गौ-सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा एवं नवीन संस्था के चयन तक गौधाम के प्रबंधन का निर्धारण जिला सशक्त समिति द्वारा नामित संस्था की होगी एवं विषम परिस्थितियों में अथवा संस्था द्वारा कार्य बंद करने की स्थिति में, संस्था का कार्य सुचारु रूप से संचालित करने हेतु व्यवस्था संबंधित जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें द्वारा किया जायेगा।

अतएव, उपरोक्त अनुबंध पत्र को पढ़कर और समझकर दो गवाहों के समक्ष, बिना किसी दबाव के एवं बिना किसी कपट संधि के दोनों पक्षकारों ने इस अनुबंध पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित किये।

रायपुर:

दिनांक:

गवाह:

1. हस्ताक्षर प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर

नाम —

पिता का नाम —

पता —

2. हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

नाम —

पिता का नाम —

पता —

8. प्ररूप—चार के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“प्रारूप—चार—‘क’
(नियम 9 (4) देखिये)

पंजीयन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, आयोग के रजिस्टर में, सरल क्रमांक
..... पर छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्र. 23 सन् 2004) की धारा 11 के उपबंध
और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार
..... संस्था को निम्नलिखित शर्तों के अधीन
रहते हुए रजिस्ट्रीकृत किया गया है :—

1. संस्था अपने संविधान का पालन करेगी।
2. संस्था उन लक्ष्यों, जिनके लिए उसको गठित किया गया है, के लिए अपने कृत्यों का निर्वहन करेगी।
3. संस्था क्षयशील माल को छोड़कर अन्य संपत्ति या आस्तियों का निर्वहन, आयोग की अनुमति के बिना नहीं करेगी।
4. संस्था के नाम से प्राप्त होने वाले समस्त आगमों में की गई प्रविष्टि समुचित लेखा पुस्तकों में की जाएगी और चार्टर्ड एकाउंटेंट से लेखा परीक्षण कराया जाएगा।
5. संस्था पिछले वित्तीय वर्ष का उसका संपरीक्षित लेखा और विस्तृत प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
6. गौधाम संचालित करने वाली चयनित संस्था को उपलब्ध कराई गई भूमि, निर्मित अधोसंरचना एवं चारागाह पर चयनित अभिकरण का कोई भी अधिकार नहीं होगा।
7. अनुबंध पत्र में दिये गये समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

दस्तावेज की एक प्रमाणित प्रति संस्था के अभिलेखों में सुरक्षित रखते हुए इसके साथ लौटाई जाती है।

सरल क्रमांक.....

तारीख.....

सचिव	पंजीयक	अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग रायपुर	छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग रायपुर	छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग रायपुर "

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुर्यकिरण अग्रवाल, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 30th September 2025

NOTIFICATION

No.E-98568/RULE/454/2025:- In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Chhattisgarh Go-Seva Ayog Act, 2004 (No.23 of 2004), the state Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Go-Seva Ayog Rules, 2005, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After clause (d) of sub-rule (3) of rule 5, the following clause shall be inserted, namely:-

“(e) Process of registration of Gaudham operated by Gaushala Samiti registered

with Chhattisgarh Go-Sewa Ayog-

(A) For relocation of destitute, nomadic bovine animals in the district, the Gauthan established in government land/rural area shall be identified as per the requirement and a proposal for establishment of Gaudham shall be sent by the Collector to the Registrar, Chhattisgarh State Gau Seva Aayog in the prescribed form. Physical/financial information of the structures constructed at the proposed site shall be attached in the proposal. **(Form-VI, Proforma ‘A’)**

(B) The Registrar shall get the physical verification done of the structures constructed at the proposed site.

(C) The Registrar shall take consent for operation of Gaudham under Gaudham Yojana from the committee of Gaushala already registered with Chhattisgarh Go-Seva Ayog and operating near/in the vicinity of the proposed site.

(D) After getting consent from the committee of the registered Gaushala, the proposal and consent letter will be entered in the register of the Chhattisgarh Go-Seva Ayog and placed before the implementation committee for consideration/approval through the secretary of the Chhattisgarh Go-Seva Ayog. **(Form- VI, Proforma ‘B’ and ‘C’)**

(f) Process of registration of Gaudham based on expression of interest-

(A) If the committee of Gaushala already registered with Chhattisgarh Go-Seva Ayog operating in the nearby area expresses disagreement to operate Gaudham under Gaudham Yojana, then the Registrar will inform the Collector/District Committee constituted as per Chhattisgarh Go-Seva Ayog Rules, 2005 about this intention and write a letter to initiate the process of selection of an institution for operating Gaudham through expression of interest as per the scheme.

(B) Following the procedure prescribed by the District Administration, upon selection of an institution for operating the Gaudham, the following information shall be sent to the Registrar. **(Form-VI, Proforma 'A', 'B' and 'C')**

(1) Details of property belonging to the institution.

(2) Names and addresses of the executive members of the institution.

(3) Method of succession of post in the institution.

(4) Income and expenditure of the institution.

(5) Source of income of the institution.

(6) Recommendation of the district administration.

(C) On being satisfied that the institution fulfills all the requirements for registration and the expenditure on operating the said Gaudham as per the scheme will be met from the fund received by the Ayog from Chhattisgarh State Agricultural Marketing (Mandi) Board, Raipur. The Registrar will enter all the details in the register of the Ayog and will place the application before the Working Committee through the Secretary of the Ayog for consideration/recommendation

(g) As per clause (e) and (f)-

(A) On receiving administrative approval from the department, the prescribed contract will be signed between Chhattisgarh State Chhattisgarh Go-Seva Ayog and the selected institution. **(Form-VI, Proforma 'D')**

(B) The selected institution will deposit an interest-free security fund of Rs 25,000/- in the office of the Chhattisgarh Go-Seva Ayog.

(h) The selected institution operating the Gaudham will not have any right over the land, constructed infrastructure and pasturage made available to it."

2. After sub-rule (3) of rule 9, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(4) After the agreement is signed as per rule 5 (3) (g), the Registrar will register and issue the registration certificate of the Gaudham. **(Form-IV-A)**”

3. In sub-rule (4) of rule 11, for the words, figures and symbols "Rs. 20.00 Lacs (Rs. Twenty Lacs)", the words, figures and symbols "Rs. 25.00 Lacs (Rs. Twenty Five Lacs)" shall be substituted.
4. In sub-rule (9) of rule 11, for the words and figures "Rs. 20.00 Lacs", the words, figures and symbols "Rs. 25.00 Lacs (Rs. Twenty Five Lacs)" shall be substituted.

5. After clause (XX) of sub-rule (11) of rule 11, the following clause shall be added, namely:-

“(XXI) Grant for Gaudham on the recommendation of District Level Committee

(rule 16-A)-

(A) For rearing of protected animals, grant will be sanctioned as per Performa-6, at the rate of Rs. 10.00 per day per unit in the first year, Rs. 20 per day per unit in the second year, Rs. 30 per day per unit in the third year and Rs. 35 per day per unit from the fourth year onwards.

(B) One Charwaha and one Gau Sevak (private artificial insemination worker) will be paid the minimum daily wages as determined by the Labor Commissioner, Government of Chhattisgarh.

(C) For breed improvement (using sex sorted semen) Rs. 1,50,000.00

(D) For fodder development Rs. 47,000.00 per acre (maximum for 5 acres).

(E) For electric shaft Cutter machine in the first year maximum Rs. 50,000.00.

(F) For the repair of constructed infrastructure/ basic infrastructure in the first year maximum Rs. 5.00 lakh.

(G) Maximum limit of total grant will be Rs. 25.00 lacs (twenty five lacs) per year.
(XXII) Reimbursement of amount spent by Joint Director/Deputy Director Veterinary Services on transportation and management for distribution of Bulls pairs ready at Gaushala and Gaudham.”

6. After sub-rule (6) of rule 12, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(7) In the case of fraud or misappropriation by the institution selected for operating Gaudham, the contract of the institution will be terminated immediately, the security deposit will be forfeited and punishment will be provided as per the Provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (No. 45 of 2023) and the Gaudham will be given to some other institution as per the rules for operation.

(8) As per sub-rule (7), the rights and conditions for terminating the contract shall be as follows-

(A) The district level committee will investigate the negligence of the selected institution and will submit the investigation report along with recommendations to the Working Committee of Chhattisgarh Go-Seva Ayog for decision.

(B) The Working Committee of Chhattisgarh Go-Seva Ayog can organize a regular/emergency meeting and take a decision after considering the recommendation of the district level committee regarding the negligence of the selected institution.

(C) The decision taken by the implementation committee of Chhattisgarh Go-Seva Ayog shall be universally accepted.

(D) In case of conviction, the compensation recovery proceedings will be done by Chhattisgarh Go-Seva Ayog.”

7. After Form-V, the following form shall be added, namely:-

“Form-VI, Proforma 'A'

(See rule 5(3)(e)/(f))

Verified and confirmed by Collector/District Committee, District

Name of Gaudham Village..... Block.....
District.....

(a) Details of Agency for Gaudham

S.No	Description	Information
1.	Name of Agency	
2.	Registered under Go-Seva Ayog	Registered/Unregistered
3.	Full postal address of Agency	
4.	District	
5.	Establishment year	
6.	Registration Number and Date, if Registered under Chhattisgarh Go-seva Ayog.	
7.	Registration number/date, If Registered under any other Institution	
8.	Name, address and telephone number of the Agency	

(b) Details related to land/building under the ownership of Gaudham

S.No.	Description	Information
1.	Total area of Gaudham	
2.	Cultivable land (irrigated/unirrigated)	
3.	Uncultivable land	

4.	Grazing area	
5.	Building (built up area)	
6.	Number and capacity of Animal shed	
7.	Available water supply (River, Nala, Pond, Tubewell etc.)	
8.	Gobargas Plant available	
9.	Solar Panel available	
10.	Silopit/other	
11.	Number of vehicles available (Bullock cart, Tractor, Jeep, Bicycle etc.)	

(c) Animal details available at Gaudham

S.No.	Description	Total Animal.....
1.	Lactating cows	
2.	Pregnant cows	
3.	Drudge / unproductive / old / disabled cows and bulls	
4.	Bulls (Sand)	
5.	Bullock	
6.	Calves/heifers	
7.	Lactating calves upto 3 months of age	
8.	Number of cattle received from court/ police custody and date of receipt	
9.	Whether the case is pending in court	

(d) Comments and recommendations of Collector/constituted District Committee-

.....

.....

Joint/Deputy Director

Collector/Officer of the constituted

Veterinary Services

District Committee.....

Signature and seal of the post

Form-VI, Proforma 'B'

(See rule 5(3) (e)/(f))

CONSENT LETTER

I.....chairman/Secretary,.....

We hereby agree that as per Rule 16 (1) (a) and (b) of Go-seva Ayog Rules, 2005 (as amended 2025). Gaudham provided by C.G. Go-seva Ayog Gram..... Block will be run by our committee with full devotion and honesty. Our organization will be fully responsible for any misappropriation and fraud.

**Name, signature and seal
of the head of the institution**

Signature of the members of the organization

1.....

2.....

3.....

Form-VI, Proforma 'C'

(See rule 5(3) (e)/(f))

Office..... (Write the name of Gaudham here)

To,

Registrar

Chhattisgarh Go-seva Ayog

Raipur.

Sub :- Application for registration of Gaudham under the Chhattisgarh Go-seva Ayog Act 2004 (No. 23 of 2004) and the Chhattisgarh Go-Seva Ayog Rules, 2005

.....
Therefore, there is a provision for registration of animal welfare Gaudham in the aforesaid Act.

Therefore, this application is submitted in triplicate along with the requisite details as per Rule 5 of the Chhattisgarh Go-seva Ayog Rules, 2005.

..... bank money.....A crossed bank draft number of...../date.....

Registration fee is enclosed.

full address

.....

.....

Gaushala/Head of voluntary
organization
Gaudham or authorized
person
signature and seal

LIST

Serial Number	Details of records
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Signature Gaudham Head

Acknowledgment

Application form for registration received along with copies of relevant documents.

Raipur:

Date:

Signature of the Staff

C.G. State Go-seva Ayog, Raipur

Serial number	Gaudham	Particulars of records
.....		
1.	Name of Gaudham.....	establishment date.....
2.	Location.....	Tahsil.....District.....
3.	The purpose and objectives of the Gaudham along with copies of documents, written documents or such brief summary showing the origin and nature and purpose of the Gaudham	
4.	Registration certificate of a voluntary organization registered/unregistered with the Go-seva Ayog if it was registered under any other act before the commencement of the Chhattisgarh Go-seva Ayog Act, 2004 (No. 23 of 2004) .	
5.	Objectives	of the committee.....
6.	By the management regulations of the committee, the management of the work of the committee has been assigned to the executive, whose names and addresses are mentioned along with signatures and Designation.	

S. no.	Name	Post	Address	Signature
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

9.				
10.				

7. The livestock number of the organization through which the NGO is protecting and promoting the agricultural animals in the past-

**Details of Animal
Breed**

Number

(a) Cow

.....

.....

(b) heifer

.....

.....

(c) Bull

.....

.....

(d) Calves

Male

.....

.....

Female

.....

.....

(e) Other

livestock

(indicate

type).....

.....

8.	Complete details of agricultural land held by the institution (attested copy of land record) Full details of the site proposed by the Collector/constituted committee to the institution (attested copy of land records)	Grazing/Grass	other category
----	---	---------------	----------------

9.	Classification of land used (Photocopy)	In the road	In the building	For other purposes

10. Source of income of the organization.....

.....

11. Activities (note briefly)

.....

.....

12. Audited accounts for last 3 years (optional)

.....

.....

13. Details regarding receipt of grants- (for the previous three years)

S.No.	Grants received by the institution in the past	year.....	year.....	year.....
1.	C.G. Go-seva Ayog Raipur, Chhattisgarh			
2.	Animal Welfare Board of India, Chennai			
3.	Parliamentarian fund			
4.	MLA Fund			
5.	other			

14. Other

information-

.....
.....

**signature of the head
of the institution**

Form-VI, Proforma 'D'

(See rule 5(3)(g))

CONTRACT - LETTER

(On non-judicial stamp paper of Rs. 50)

First Party:- Secretary, Chhattisgarh State Go-seva Ayog, Raipur, Chhattisgarh.

Second Party:-

.....

This Agreement is signed and executed by both the parties
on this date at Raipur, Chhattisgarh.

First Party :- Secretary, Chhattisgarh State Go-seva Ayog,
Raipur, Chhattisgarh.

Second Party :-
.....

This Agreement is signed and executed this day of
.....

Terms and conditions of the contract executed between both the parties:-

1. That, the tenure of the institution selected for the established Gaudham will be 05 (five) years. The tenure can be extended by 05 (five) years on the recommendation of the implementation committee.
2. That the land of the established Gaudham and the constructed infrastructure will be under the control of Party No. 1, Chhattisgarh State Go-seva Ayog. Thus, after the contract is over, the institution will have no right over it.
3. That, the government will provide land to the organization running the Gaudham as per the PPP model, which will be under the control of Chhattisgarh State Go-seva Ayog.
4. That the selected institution will be required to deposit the amount of Rs. 25,000/- along without interest as security fund through bank draft in the name of Chhattisgarh State Go-seva Ayog.
5. That the land received from the government for Gaudham will be used only for the fulfillment of the prescribed objectives of Gaudham. Its use anywhere else will be considered against the contract.

6. That the institution selected for running the Gaudham will not be able to stop the work midway nor will it delay the work due to negligence. If it is found so in the investigation, action can be taken against them by the government under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (No. 45 of 2023) procedure and compensation will be obtained from the security fund submitted by the organization.
7. That it should be mandatory for Gaudham to maintain all necessary records including Animal register, deadstock register, feed-feeder register, stationery register, other incidental and cash book.
8. That, at the end of each financial year, the selected institution will have to get the party number-2 audited by a chartered accountant and submit it to the C.G. State Go-seva Ayog through the Joint Director/Deputy Director, Veterinary Services of the concerned district within one month after the end of the financial year. The institution will have to work by following the instructions given from time to time by the C.G. State Go-seva Ayog and the District Implementation Committee.
9. That, the selected institution will have to maintain the details of the animals/amount received from donors during the operation of the Gaudham in a separate register and give written information to the C.G. State Go-seva Ayog.
10. That, the selected institute will have to provide deworming medicine and preventive vaccination to all the Animal of the Gaudham. The health of Animal, breed improvement and management system will be inspected by the Registrar, Chhattisgarh State Go-seva Ayog, it will be mandatory to follow the suggestions and guidance given by the Registrar.

11. That, it will be the responsibility of the selected institution to provide technically skilled and semi-skilled labourers for the production work and adequate arrangement of labourers for taking care of the animals.
12. That, the selected institution will have to adopt five villages within the Gaudham area and establish five role model villages by getting all its agricultural activities carried out in an organic manner. Organic activities must be included in all stages (plowing, sowing, pesticides, herbicides, harvesting).
13. That, the selected institution It will be mandatory for it to follow the instructions given by the C.G. State Go-seva Ayog for the management of Gaudham.
14. That, the selected institute Gaudham will have to take up breed improvement programme by using improved indigenous breed bulls or through artificial insemination, milk production will also be promoted by the institute. For the production of fodder throughout the year in the Gaudham, work of seasonal fodder seeds, manure, land improvement etc. will be done.
15. That, the selected institution along with the production of Panchagavya, will have to produce organic fertilizer from cow dung and cow urine, produce pesticides, train farmers / cattle herders and do publicity.
16. That, the selected institution can be given nutritious food and other grants for the unproductive animals kept in the Gaudham as per the proposed provisions in the Gaudham Yojana. For this, the Gaudham will be separately registered with the C.G. Go-seva Ayog.

17. That, the selected institution will not be provided any kind of assistance by the Government for the nutrition of productive animals and other work.
18. That, in case of dispute on any issue between both the parties to the selected institution the decision of the Secretary, Agriculture (Livestock Development) Department, Chhattisgarh Government should be final.
19. That, the selected institution is required to fulfill the objective of the scheme.
20. That the action for premature termination of the contract:-
 - A. If the organization selected for running the Gaudham stops work during the contract period or any kind of negligence is found, legal action can be taken against them and compensation amount will be received from the security fund presented.
 - B. The decision taken by the implementation committee of Chhattisgarh State Go-seva Ayog will be universally accepted.
 - C. In case of being found guilty, Chhattisgarh State Go-seva Ayog will initiate action for recovery of damages from the security amount of Rs. 25,000/- deposited by the selected institution before the contract and till the selection of a new institution, the management of the Gaudham will be decided by the institution nominated by the District Empowered Committee and in case of adverse circumstances or closure of work by the institution, the Joint Director/Deputy Director, Veterinary Services of the concerned district will make arrangements for smooth functioning of the institution.

Therefore, after reading and understanding the above contract, both the parties executed this contract by signing it in front of two witnesses without any pressure and without any fraudulent pact.

Raipur:

Dated:

Witness:

1. Signature

First Party Signature

Name -

Father's name -

Address -

2. Signature

Signature of second party"

Name -

Father's name -

Address -

8. After Form-IV, the following form shall be added, namely:-

"Form-IV-'A'
(See Rule 9(4))

Registration Certificate

It is to certify that the.....

 institution has been registered in the register of the Ayog at Serial Number
 as per the provisions of Section 11 of the
 Chhattisgarh Go-Seva Ayog Act, 2004 (No. 23 of 2004) and the rules made there
 under, subject to the following conditions :-

1. The organization will abide by its constitution.
2. The Agency shall discharge its functions for the purposes for which it has been constituted.
3. The Agency shall not dispose of any property or assets other than perishable goods without the permission of the Ayog.
4. All income received in the name of the organization will be entered in proper accounting books and audited by a Chartered Accountant.
5. The Agency shall submit its audited accounts and detailed report of the previous financial year to the Ayog by 31st July of every year.
6. The selected Agency running the Gaudham will not have any right over the land, constructed infrastructure and pasture made available to it.
7. It will be mandatory to comply with all the conditions given in the contract.

A certified copy of the document is returned along with it for safekeeping in the records of the institution.

Serial no.-.....

Date

Secretary

Registrar

Chairman

Chhattisgarh Go-Seva Ayog

Chhattisgarh Go-Seva Ayog

Chhattisgarh Go-Seva Ayog

Raipur

Raipur

Raipur"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
 SURYAKIRAN AGRAWAL, Deputy Secretary.